न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 189 / 2022

1 उर्मिला उम्र वयस्क पत्नी रघूवीर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
2 चावली उम्र वयस्क पत्नी बुटीराम जाति जाट निवासी ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
3 बुटीराम उम्र वयस्क पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
4 बिमला उम्र वयस्क पत्नी महीपाल जाति जाट निवासी ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
5 महीपाल उम्र वयस्क पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
6 रघुवीर उम्र वयस्क पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
7 रामसिंह उम्र वयस्क पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
8 सविता उम्र वयस्क पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 शीशराम उम्र वयस्क पुत्र बजरंग सिंह जाति जाट निवासी ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
2 महेन्द्र सिंह उम्र वयस्क पुत्र ईसरराम जाति जाट निवासी ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
3 प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नंगली सलेदी सिंह तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
4 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नानूवाली बावड़ी तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5 प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

6 प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाउ तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उनवानी प्रकरण शीशराम वगै. बनाम उर्मीला वगै. अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.नं. 86/2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी निर्णय दिनाकित 30.06.2022

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 86/2022 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राज. का. अधि. बाबत चाहने रास्ता ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 385 में दर्ज खसरा नम्बर 728 रकबा 2.24 हैक्टेयर जो रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की है में आने जाने के लिए अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 718 रकबा 1.64 है. में से 15 फीट चौड़ा रास्ता चारावास से छावडी कुआ जाने वाले रास्ता से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दिलवाया जावे। उक्त प्रकार से आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर रजिस्टर्ड नोटिस से अपीलान्ट की तलबी जारी करने का आदेश दिया तथा विचारण न्यायालय ने दिनांक 24.05.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से डिलीवरी रिपोर्ट पेश करने पर अग्रीम कार्यवाही का आदेश दिया जाकर दिनांक 21.06.2022 को एकतरफा कार्यवाही का आदेश देते हुये दिनांक 30.06.2022 को निर्णय पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को बीना सुने ही आदेश जारी किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने बाला बाला ही फर्जी तामील करवाई है प्रकरण के नोटिस अपीलान्ट को मिले ही नहीं है ओर ना ही डिलीवरी रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है अपीलान्ट के पास दिनांक 13.11.2022 को तहसील कार्यालय खेतड़ी से एक नोटिस आया कि वे प्रतिकर की राशि प्राप्त करे तब अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी हुई तब अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय व उसके बाद विचारण न्यायालय में चाराजोही की तथा प्रकरण की नकल निकलवाई तथा पोस्ट ऑफीस में नोटिस रजिस्ट्री की जानकारी ली तब अपीलान्ट को जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के दलीप पुत्र भालाराम उर्फ गिरधारी निवासी चारावास व डाकिया से साज कर अपीलान्ट के तामील नोटिस अपीलान्ट को जानकारी दिये बिना ही उक्त दलीप ने प्राप्त किये तथा फर्जी डिलीवरी रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाई तथा अपीलान्ट की ऐक्सपार्टी करवाकर विचारण न्यायालय को मुगालते में रखकर निर्णय करवा लिया। प्रार्थीगण ने पोस्ट ऑफीस से नोटिस डिलीवरी बाबत सूचना ली व डिलीवरी प्रपत्र की फोटो प्रति प्राप्त की , डिलीवरी प्रपत्र में अपीलान्ट के नोटिस प्राप्ती पर उक्त दलीप के हस्ताक्षर कर रखे है तथा मो. नं. सभी नोटिस प्राप्ती पर 9783118994 लिख रहे है जबकि उक्त दलीप के पिता के व अपीलान्ट के पिता के बीच मुकदमेबाजी चली है व वर्तमान में भी चल रही है इस कारण से उक्त दलीप व रेस्पोडेन्टगण ने आपस में साज कर अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने के लिए फर्जी डिलीवरी रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करवाई है तथा निर्णय करवाया है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने अपीलान्ट को नहीं सुना है तथा साक्ष्य व सबूत तथा जवाब पेश करने का अवसर नही दिया है। विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई मौका रिपोर्ट भी अपीलान्ट की उपस्थिति में नहीं बनी और ना ही मौका रिपोर्ट बनाते समय अपीलान्ट को सूचित किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने का आदेश नहीं किया है अपीलान्ट के पास बहुत अधिक भूमि नहीं है अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस 1 व 2 की भूमि आपस में सीमा लगती है तथा भमि भी समतल है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते तथा रास्ता में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने का आदेश विचारण न्यायालय को करना चाहिये था तथा विचारण न्यायालय अपीलान्ट को सुनती तो सही व वास्तविक स्थिति अपीलान्ट विचारण न्यायालय के समक्ष रखते परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने फर्जी तरीके से बाला बाला ही प्रार्थीगण की तामील करवाकर विचारण न्यायालय को गुमराह कर निर्णय पारित करवाया है। उक्त अनुसार अपीलान्ट को बीना सुने ही पारित किये गये निर्णय को अपास्त व निरस्त किया जाना न्यायोचित है तथा पत्रावली विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है कि विचारण न्यायालय अपीलान्ट को विधिनूसार, सुनवाई, जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाकर पत्रावली को मेरिट पर निर्णित कर तथा विचारण न्यायालय अपीलान्ट की उपस्थिति में मोका रिपोर्ट मंगवाई जाकर यदि विचारण न्यायालय अपीलान्ट की भूमि में से नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाती है तो अपीलान्ट को रास्ते में आने वाली भूमि के बदले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खेत में से भूमि दिलवाये जाने का आदेश दे ताकि अपीलान्ट की काश्त योग्य भूमि का रकबा कम ना हो तथा भविष्य में उक्त भूमि पर काश्त कर अपनी जिविका चला सके, ऐसा आदेश दिया जाना न्यायोचित है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.03.2022 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत नंगली सलेदीसिंह में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण को प्रस्तावित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 728 में पहुचने हेतु खसरा नम्बर 718 में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 मीटर चौड़ाई, 168 मीटर लम्बाई में 672 वर्गमीटर (0.0672 है.) बनता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 728 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों की पूर्ति करता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। अपील मेमों के साथ संलग्न डिलीवरी रिपोर्ट एवं डाक प्राप्ती हस्ताक्षर प्रपत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में महिपाल, स्वेता, बिमला, रघुवीर, रामसिंह, उर्मिला, बुंटिराम व चावली को जारी रजिस्टर्ड नोटिस एक ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये है। इन सभी में प्राप्त कर्ता के मोबाईल नम्बर 9783118994 अंकित है। स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड डाक की तामील अपीलांट को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर